

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- प.3()निपेंवि/लेखा/बजट/2014-15

दिनांक

समस्त कोषाधिकारी, (पेंशन भुगतान)

विषय :- बजट आवंटन एवं नियंत्रण के संबंध में ।

महोदय,

दिनांक 28.5.2014 को विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) के कक्ष में एक बैठक हुई जिसमें निदेशक बजट, निदेशक कोष एवं लेखा भी उपस्थित थे । मीटिंग में दिये गये निर्णयानुसार निम्न बजट मदों का आवंटन IFMS पर निदेशक, पेंशन विभाग द्वारा किया जावेगा :-

2071	पेंशन तथा सेवानिवृति हित लाभ
01	सिविल (आ.भि.)
101	पेंशन
102	संराशीकृत
104-(01)	उपादान
104-(02)	राज्य सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु पर अनुग्रह/अनुदान
105	परिवार पेंशन
106	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन (प्रभृत)
110-(01)	जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन
115	छुट्टी नकदीकरण हितलाभ
800-(01)	पेंशन हितलाभ विलम्ब पर ब्याज का भुगतान

उपरोक्त सभी बजट मद इस प्रकार के हैं जिनमें की भुगतान को विलम्बित नहीं किया जा सकता है । यह भुगतान बैंकों द्वारा किया जाता है अतः सभी कोषाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि :-

1. किसी भी समय किसी भी दिन यदि व्यय आबंटित बजट से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए अतिरिक्त राशि की मांग तुरन्त फैक्स नं. 0141-2741687 पर (2 दिवस) में करेंगे ।
2. समस्त कोषाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह समय पर राशि की मांग प्रेषित करेंगे ।
3. अतिरिक्त मांग के अनुरूप बजट आवंटन पेंशन विभाग द्वारा 3 कार्य दिवसों में किया जावेगा ।

भवदीय,


(डी.के.मित्तल)
निदेशक


संयुक्त न्यायालय

क्रमांक :- प.3()निपेंवि/लेखा/बजट/2014-15/234-274

दिनांक 28/07/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, बजट वित्त विभाग को पत्र क्रमांक प.4(22)वित्त-1(1)आ.व्यय/2013 दिनांक 21.5.2014 के क्रम में प्रेषित है ।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा से निवेदन है कि समस्त कोषाधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान करावें ।


निदेशक

संयुक्त न्यायालय	1502
(विधि) न्यायाधीश	10
न्यायाधीश	101
सहायक न्यायाधीश	301
सहायक न्यायाधीश (विधि)	(10)-301
सहायक न्यायाधीश (विधि) के निदेशाधीन कार्य	(50)-401
न्यायाधीश	201
(विधि) न्यायाधीश के निदेशाधीन कार्य	501
न्यायाधीश के निदेशाधीन कार्य के निदेशाधीन कार्य	(10)-501
न्यायाधीश के निदेशाधीन कार्य	511
न्यायाधीश के निदेशाधीन कार्य के निदेशाधीन कार्य	(10)-508

संयुक्त न्यायालय के न्यायाधीशों के निदेशों के अन्तर्गत यह आदेश न्यायाधीशों को प्रेषित है कि वे न्यायाधीशों के निदेशों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

संयुक्त न्यायालय के न्यायाधीशों के निदेशों के अन्तर्गत यह आदेश न्यायाधीशों को प्रेषित है कि वे न्यायाधीशों के निदेशों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

संयुक्त न्यायालय के न्यायाधीशों के निदेशों के अन्तर्गत यह आदेश न्यायाधीशों को प्रेषित है कि वे न्यायाधीशों के निदेशों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

निदेशक
(संयुक्त न्यायालय)
न्यायाधीश